न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
40/2016	30.5.2016	29.9.2025

1. रामकलां बेवा मानसिंह, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. गिल्लू उर्फ गुणवत्तसिंह, उम्र 16 साल
3. राधा पुत्री मानसिंह, उम्र 13 साल
4. कीर्ति पुत्र मानसिंह, उम्र 10 साल

पुत्र मानसिंह जरिए संरक्षक मा श्रीमती रामकला बेवा मानसिंह, मीना नि0 डिवस्या

—वादीगण

बनाम

1. सोमोती पत्नि लक्खी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी
3. खुशवीर सिंह पुत्र रूपनारायण, मीना निवासी डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी
4. सुमेर सिंह पुत्र रूपनारायण, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
5. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संतोष कुमार जाटव, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री आर0डी0त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से
श्री आर0के0 मिश्रा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 2 की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 3 की ओर से
श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 4 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 187 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 507 रकबा 1.47 है0, ख0नं0 1144 रकबा 2.76 है0 ग्राम डिवस्या में स्थित है जिसमें खातेदारान अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। भूमि सहखाते[illegible] चले आने के कारण पक्षकारो में आये दिन विवाद होता रहता है। वादी[illegible]ने दि0 12.5.2016 को तहसील में चलकर सहमति से विभाजन [illegible]प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादिया सोमोती ने स्पष्ट मना कर दिया। अतः दावा पेश कर निवेदन[illegible] कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 187 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 507 रकबा 1.47 है0, ख0नं0 1144

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

रकबा 2.76 है0 ग्राम खिवस्या का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी सं0 1 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादीगण ने अपने दावे में किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है स्पष्ट नहीं लिखा है। विवादित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 व 4 का 1/2 हिस्सा है। इस अनुसार ही रिकार्ड में इन्द्राज है। मौके पर ख0नं0 187 रकबा 0.17 है0 आपसी सहमति से सोमोती के कब्जे काश्त में है। ख0नं0 506, 507 का मौके पर आधा सोमोती का तथा आधा अन्य सहखातेदारान ने हिस्सा कर रखा है। इसी प्रकार काश्त हो रही है। ख0नं0 506 के अपने हिस्से में सोमोती ने सरकारी योजना कृषि अनुदान से एक कुण्डा खुदवा रखा है इसलिए कुण्डा वाला भाग सोमोती के हिस्से में है। ख0नं0 1144 में भी मौके पर प्रतिवादी सं0 1 की पृथक से काश्त हो रही है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौके पर कब्जे के हिसाब से भूमि का विभाजन कर लगान पृथक पृथक दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रतिवादी सं0 2 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के यहां रहन रखा हुआ है जिसका इन्द्राज राजस्व कागजात में भी हो रहा है। अतः वादी का वाद प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं0 3, 4 ने अपने जबाब दावा व काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि वादीगण का मुताबिक हिस्सा भूमि पर कब्जा नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि जबाबदारान की मां मोहरबाई पत्नि रूपनारायण की क्रयशुदा भूमि रही है जिनकी मृत्यु के बाद नामान्तरकरण वादीगण व जबाबदारान के नाम खुला है। वादीगण व जबाबदारान के अतिरिक्त मोहरबाई की दो पुत्रियां मदमनी पत्नि सीताराम निवासी चूरपुरा तहसील टोडाभीम व दुर्गावती पत्नि भरतलाल निवासी नयागांव महुआ और है जिनके नाम नामान्तरकरण नहीं खुला है। जबाबदारान की मां मोहरबाई अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि का विभाजन कर गई थी व बहन पदमनी व दुर्गावती को भी भाईयों के समान हिस्सा दिया था। वादीगण की बहन वर्तमान में अपनी ससुराल में आबाद है जिन्होंने प्रेम व विश्वास के कारण अपना हिस्सा जबाबदारान को दिया जिस पर जबाबदारान काश्त कर रहे हैं। इस कारण वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/10- 1/10 हिस्सा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा खोले गए नामान्तरकरण के कारण भूमि वादीगण के नाम लग चुकी है जिसका गलत फायदा उठाकर वादीगण रिकार्ड से भूमि का विभाजन कराना चाहते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा भी नहीं है एवं कब्जे के अभाव में वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। अत: जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0नं0 187 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 507 रकबा 1.47 है0, ख0नं0 1144 रकबा 2.76 है0 ग्राम डिवस्या में जबाबदारान की बहन पदमनी व दुर्गावती द्वारा मुताबिक हिस्सा भूमि जिस पर प्रतिवादीगण की बहनों द्वारा जबाबदारान का कब्जा करवाया है उसके हिस्से में वादीगण जबाबदारान को कब्जे काश्त में कोई मजाहमत पैदा नहीं करें न ऐसा कोई कार्य करें जिससे जबाबदारान को उक्त हिस्से के उपयोग उपभोग में किसी तरह की परेशानी का सामना करना पडे। वादीगण जबाबदारान को भूमि के 4/10 हिस्से के उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई:–

1. आया भूमि ख0नं0 187 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 506 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 507 रकबा 1.47 है0, ख0नं0 1144 रकबा 2.76 है0 ग्राम डिवस्या वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है।

—वादीगण

2. आया दि0 12.5.2016 को प्रतिवादीगण ने भूमि का विभाजन कराने से मना कर दिया फलस्वरूप वादीगण उपरोक्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन करवाकर भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज करवाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकरी है।—वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा, वादीगण व प्रतिवादी सं0 3, 4 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी अनुसार विभाजन होना आवश्यक है। —प्रतिवादी नं0 1

4. आया वादग्रस्त भूमि मोहरबाई पत्नि रूपनारायण की खरीदशुदा भूमि रही है जिसकी मृत्यु के बाद भूमि का नामान्तरकरण वादीगण व प्रतिवादी सं0 3, 4 के नाम खुला है परन्तु इसमें जबाबदारान की बहन पदमनी व दुर्गावती का भी समान हिस्सा है एवं उन्होने अपना हिस्सा काश्त हेतु जबाबदारान को दे रखा है। इस प्रकार वादीगण का भूमि में 1/10 हिस्सा है। —प्रति.सं0 3, 4

5. आया वादग्रस्त भूमि में जबाबदा[illegible] दुर्गावती का भी 1/10, 1/10 हिस्सा होने व यह हिस्सा उनके [illegible]त हेतु जबाबदारान को दिए जाने के कारण जबाबद[illegible] भूमि के [illegible] हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु [illegible] को पाबंद कराने के अधिकारी हैं। —प्रति0 नं0 3, 4

6. अनुतोष।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 ग्राम डिवस्या प्रस्तुत की है।

दिनांक 15.11.2017 को उभयपक्ष के विद्धान वकील दावे में भूमि विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम मंगवाने पर सहमत हुए। जिस पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.11.2017 द्वारा वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाने का आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से दिनांक 15.04.2025 को तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र क्रमांक 33 दिनांक 9.4.2025 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। इस विभाजन स्कीम पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी से पुनः विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 4414 दिनांक 18.8.2025 के साथ विभाजन स्कीम दिनांक 25.8.2025 को इस न्यायालय मे प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर सहमत है। फलस्वरूप वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम दिनांक 25.8.2025 के अनुसार विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. रामकला पत्नी स्व0 मानसिंह हिस्सा 1/24 नाबालिग कीर्ति, राधा पुत्रियॉ मानसिंह हिस्सा 1/12 संरक्षक माता रामकला, नाबालिग गिल्लू उर्फ गुणवंत सिह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/24 संरक्षक माता रामकला, खुशवीरसिंह, सुमेरसिंह पिता रूपनारायण हिस्सा 1/3 बिला रहन, सोमोती पत्नी लक्खी हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/5 रकबा 0.12 है0, ख0न0 1144/10 रकबा 0.04 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।
2. रामकला पत्नी स्व0 मानसिंह हिस्सा 1/4 [illegible] कीर्ति, राधा पुत्रियॉ मानसिंह हिस्सा 1/2 संरक्षक माता रामकला, नाबालिग गिल्लू उर्फ गुणवंत सिह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/4 [illegible] जाति मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/3 रकबा 0.2167 है0, ख0न0 1144/9 रकबा 0.2167 है0, ख0न0 507/3 रकबा 0.3566 है0 कुल रकबा 0.79 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:18:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

3. खुशवीरसिंह पिता रूपनारायण, मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/2 रकबा 0.2166 है0, ख0न0 1144/8 रकबा 0.2167 है0, ख0न0 507/2 रकबा 0.3567 है0 कुल रकबा 0.79 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

4. सुमेरसिंह पिता रूपनारायण, मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/1 रकबा 0.2166 है0, ख0न0 1144/7 रकबा 0.2167 है0, ख0न0 187/2 रकबा 0.0850 है0, ख0न0 506/2 रकबा 0.25 है0, ख0न0 507/4 रकबा 0.0217 है0 कुल रकबा 0.79 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

5. सोमोती पत्नी लक्खी जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/4 रकबा 0.6500 है0, ख0न0 1144/6 रकबा 0.6500 है0, ख0न0 187/1 रकबा 0.0850 है0, ख0न0 506/1 रकबा 0.2500 है0, ख0न0 507/1 रकबा 0.7350 है0 कुल रकबा 2.37 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.9.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:37 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

उनवान

1. रामकलां बेवा मानसिंह, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. गिल्लू उर्फ गुणवत्तसिंह, उम्र 16 साल
3. राधा पुत्री मानसिंह, उम्र 13 साल
4. कीर्ति पुत्र मानसिंह, उम्र 10 साल

पुत्र मानसिंह जरिए संरक्षक मा श्रीमती रामकला बेवा मानसिंह, मीना नि० डिवस्या

—वादीगण

बनाम

1. सोमोती पत्नि लक्खी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, औद्योगिक क्षेत्र सालोदा गंगापुर सिटी
3. खुशवीर सिंह पुत्र रूपनारायण, मीना निवासी डिवस्या तह० गंगापुर सिटी
4. सुमेर सिंह पुत्र रूपनारायण, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
5. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —40/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संतोष जाटव, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री रामदयाल त्रिवेदी, श्री तरूण शर्मा, श्री आर.के. मिश्रा, श्री लालाराम सैनी एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉं से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. रामकला पत्नी स्व० मानसिंह हिस्सा 1/24 नाबालिग कीर्ति, राधा पुत्रियॉं मानसिंह हिस्सा 1/12 संरक्षक माता रामकला, नाबालिग गिल्लू उर्फ गुणवंत सिह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/24 संरक्षक माता रामकला, खुशवीरसिंह, सुमेरसिंह पिता रूपनारायण हिस्सा [illegible]ती पत्नी लक्खी हिस्सा 1/2 जाति मीना सा. देह खातेदार रा[illegible].आई. औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि [illegible] 0.12 है०, ख०न० 1144/10 रकबा 0.04 है० ग्राम [illegible]

2. रामकला पत्नी स्व० मानसिंह हिस्सा 1/4, ना[illegible]लिग कीर्ति, राधा पुत्रियॉं मानसिंह हिस्सा 1/2 संरक्षक माता रामकला, नाबालिग गिल्लू उर्फ गुणवंत सिह पुत्र मानसिंह हिस्सा 1/4 संरक्षक माता रामकला जाति मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख०न० 1144/3 रकबा 0.2167 है०, ख०न०

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

1144/9 रकबा 0.2167 है0, ख0न0 507/3 रकबा 0.3566 है0 कुल रकबा 0.79 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

3. खुशवीरसिंह पिता रूपनारायण, मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/2 रकबा 0.2166 है0, ख0न0 1144/8 रकबा 0.2167 है0, ख0न0 507/2 रकबा 0.3567 है0 कुल रकबा 0.79 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

4. सुमेरसिंह पिता रूपनारायण, मीना सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/1 रकबा 0.2166 है0, ख0न0 1144/7 रकबा 0.2167 है0, ख0न0 187/2 रकबा 0.0850 है0, ख0न0 506/2 रकबा 0.25 है0, ख0न0 507/4 रकबा 0.0217 है0 कुल रकबा 0.79 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

5. सोमोती पत्नी लक्खी जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 1144/4 रकबा 0.6500 है0, ख0न0 1144/6 रकबा 0.6500 है0, ख0न0 187/1 रकबा 0.0850 है0, ख0न0 506/1 रकबा 0.2500 है0, ख0न0 507/1 रकबा 0.7350 है0 कुल रकबा 2.37 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.9.2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुददई	रूपया	पैसा	मुददायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.10.13 10:13:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)